

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

संचिका सं०-०३/कृ०रा०यो०-०२/२०२०

२४

/कृ०, राँची, दिनांक-०७-०१-२०२१

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा - योजना -सह- वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)

विषय - वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में राज्य योजनान्तर्गत नई योजना 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना' के क्रियान्वयन हेतु कुल २०००.०० करोड़ (दो हजार करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

झारखण्ड राज्य में लगभग ३८ लाख किसान हैं और लगभग ३८ लाख हे० भूमि पर खेती करते हैं। पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि राज्य में मानसून की स्थिति अनियमित रही है, जो कृषि एवं कृषक समुदाय को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। यह पाया गया है कि पिछले कई वर्षों के दौरान मानसूनी वर्षा में काफी विचलन भी हुआ है। वर्ष २०१७, २०१८ और २०१९ में मानसून के दौरान सामान्य वर्षा में क्रमशः -१३ प्रतिशत, -२७.८० प्रतिशत और -२०.९० प्रतिशत की कमी पायी गई है। राज्य की सामान्य वर्षा जून-सितम्बर की अवधि यानी खरीफ मौसम में १०२७.७ मिमी है। इसके साथ ही माहवार अनियमित वर्षा भी देखी जाती रही है। साथ ही राज्य में ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भी फसल की काफी क्षति पाई जाती रही है।

राज्य में मानसून की ऐसी प्रवृत्ति न केवल बुआई को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार सूखे की घटना भी हो रही है। वर्ष २०१८ के दौरान १८ जिलों के १२९ प्रखंडों और वर्ष २०१९ के दौरान १० जिलों के १०७ प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। यह स्थिति राज्य के वैसे कृषक समुदाय के समक्ष बहुत सारी चुनौती लेकर आयी, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन प्रभावित तो हुई ही है, साथ ही इसका सीधा असर किसानों के आय पर भी पड़ा है। इस कारण ऐसा पाया गया कि किसान बकाया फसली ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, जिस कारण फसल ऋण खाते एनपीए (NPA) में परिवर्तित हो रहे हैं। बकाया ऋण राशि नहीं चुकाने के कारण कृषक नए फसल ऋण या अन्य ऋण के लिए अयोग्य होते जा रहे हैं। हाल के वर्षों के दौरान इस तरह की घटनाओं के कारण फसल ऋण का संवितरण भी प्रभावित हुआ है।

Emb

br

राज्य के किसानों को दोहरे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पहला वे कर्ज की कमी के शिकार हैं और दूसरा कर्ज नहीं चुकाने के कारण उप पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। ये कारक उन्हें खेती से गैर कृषि गतिविधि के लिए राज्य से बाहर पलायन के लिए बाध्य कर रहे हैं।

इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था एवं आवश्यक नीति विकसित करने का संकल्प लिया है, जो कृषक समुदाय की ऋण समस्या को बहुत हद तक कम करने में मदद करेगा। उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसका दायित्व इस योजना की रूपरेखा एवं आवश्यक नीति निर्धारण करना था। यह योजना कृषकों को नए फसल ऋण लेने, ऋण का बोझ कम करने में बहुत हद तक सार्थक सिद्ध होगा, साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था में एक नए ऊर्जा का प्रवाह भी करेगा।

2. राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस योजना के लिए निम्न अनुशंसाएँ की हैं :-

- इस योजना के लाभुक झारखण्ड राज्य के सभी रैयत/गैर रैयत होंगे, जो झारखण्ड राज्य स्थित किसी भी बैंक से फसल अल्पावधि ऋण (के0सी0सी0) लिए हों।
- इस योजना में 31.03.2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में रु0 50,000/- तक की बकाया राशि माफ की जाएगी।
- इस योजना का कार्यान्वयन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से होगा।
- इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा, जिसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा।
- आवेदन के लिए आवेदक से 1.00 रु0 सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाएगा।

3. प्रस्तावित नई योजना के स्वरूप, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया, लाभुकों का चयन एवं अपवाद, बकाए ऋण माफी राशि का निर्धारण, इस संबंध में विभिन्न प्राधिकारों के दायित्वों का निर्धारण आदि का विस्तृत उल्लेख 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना' की प्रचालन मार्गनिर्देशिका में है, जो अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल मो0- 2000.00 करोड़ रु. (दो हजार करोड़ रुपये) मात्र का बजटीय उपबंध है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों से की जायेगी :-

(राशि करोड़ रु0 में)

क्र0	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-BI-कृषक ऋण माफी योजना, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01S240100796BI0652)	1200.00

Emb

by

28
07-01-2021

2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-102-खाद्यान्न फसलें, उपशीर्ष-BI-कृषक ऋण माफी योजना, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01S240100102BI0652)	600.00
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-BI-कृषक ऋण माफी योजना, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01S240100789BI0652)	200.00
योग		2000.00

(दो हजार करोड़ रु. मात्र)

5. उक्त योजना की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे।
6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे।
7. राशि के सम्यक् एवं लाभकारी उपयोग के लिए कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे।
8. उक्त योजना का कियान्वयन 'झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना' की प्रचालन मार्गनिर्देशिका (छायाप्रति संलग्न) का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाएगा। इस योजना के कियान्वयन के कम में आवश्यकतानुसार संशोधन/दिशा निर्देश विभागीय स्तर से किया जा सकेगा।
9. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
10. प्रस्ताव एवं झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना की प्रचालन मार्गनिर्देशिका प्रारूप पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
11. प्रस्ताव एवं झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना की प्रचालन मार्गनिर्देशिका प्रारूप को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-23.12.2020 में मद सं0-61 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति दी गयी है।
12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-02/2020 28 /कृ0, राँची, दिनांक-07-01-2021
प्रतिलिपि- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-02/2020 28 /कृ0, राँची, दिनांक-07-01-2021
प्रतिलिपि- कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के आलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आई0डी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।



ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-02/2020

28

/कृ0, राँची, दिनांक-.....07-01-2021

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-02/2020

28

/कृ0, राँची, दिनांक-.....07-01-2021

प्रतिलिपि- सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग/समन्वयक, SLBC, झारखण्ड, राँची को प्रचालन मार्गनिर्देशिका की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Enus

झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना

Copy right@ Department of Agriculture, AH & Cooperative 2020

Copy right@ Department of Agriculture, AH & Cooperative 2020



झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना

प्रचालन मार्गनिर्देशिका

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
नेपाल हाऊस, झारखण्ड, राँची

अनुसूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ
1	परिचय	02
2	राज्य में फसली ऋण की स्थिति	03
3	योजना का उद्देश्य	03
4	योजना की मुख्य विशेषताएँ	03
5	योजना के संचालन के लिए तकनीक को अपनाया जाना	04
6	कार्यान्वयन विभाग	04
7	कार्यान्वयन एजेंसी	04
8	अनुश्रवण एवं समन्वय समिति तथा नोडल अधिकारी	05-06
9	योजना का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता	06-07
10	किसानों का आच्छदन, पात्रता एवं अपवाद	07-08
11	बैंको के लिए पात्रता मानदण्ड, ऋण की अवधि, योजना के तहत बकाया राशि	08
12	बहिष्करण की शर्तें (Exclusion Criteria)	08
13	ऋणी द्वारा यू0आई0डी0 (आधार) प्रदान करना	08-09
14	योजना कार्यान्वयन की मानक प्रक्रिया (SOP)/संचालन तंत्र	09-11
15	ऑनलाईन शिकायत प्रबंधन प्रणाली	11-12
16	निधि प्रबंधन	12
17	योजना के लिए बैंको की नामित	12
18	योजना पोर्टल के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर विकास और प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं श्रमशक्ति	13
19	पीएफएमएस पोर्टल योजना बोर्डिंग	13-14
20	बैंको एवं कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका	14
21	योजना के तहत विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ	14-18
22	नोडल पदाधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	18-19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

